नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(जुलाई से सितम्बर 2015)

डा अजय तिर्की महापौर

प्रिय नगरवासियों ,

कोई भी संस्था के सफल संचालन में वहां के नगरवासियो का सहयोग आवश्यक होता है और नगर में चलने वाले प्रत्येक कार्यो की पारदर्शिता एंव सुगमता मेरी प्राथमिता रही है इसी तारत्मय में इस वेब साईट का निमार्ण कराया गया है मेरा नगर वासियो से अपील है कि नगर में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत हो रहे शौचालयो का निर्माण अपने घरो में करा कर सहयोग प्रदान करें साथ ही आप सभी से अपील है कि समस्त करो का भुगतान समय पर करे, जल को व्यर्थ ना बहने दे, प्लास्टिक कैरी बैगो का इस्तेमाल ना करे एंव कचरो में निपटान में सहयोग कर नगर निगम को एक मजबूत निगम बनाने में सहयोग प्रदान करे । अतः में आप के सभी कार्यो को तत्परता सुगमता से करने के वादे के साथ,आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप स्वस्थ रहे निरोग रहे इसी आशा के साथ आपका।

डा अजय तिर्की महापौर

सामान्य सभा एवं सामान्य प्रषासन की बैठक 12 जुलाई को

जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक 12 जूलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से तथा सामान्य प्रषासन समिति की बैठक अपरान्ह 3 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष अम्बिकापुर में आयोजित की गई है। जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.एक्का ने सामान्य सभा एवं सामान्य प्रषासन समिति के सदस्यों से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

समाचार क्रमांक 726/2015 ––––0–––

समाचार

विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण का परीक्षण करने के निर्देष

युक्तियुक्तकरण के संबंध में दावा–आपत्ति 20 जूलाई तक

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल षिक्षा विभाग द्वारा दूरी के आधार पर शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देष जारी किये गये है। कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन द्वारा जिले में युक्तियुक्तकरण योग्य पाये गये विद्यालयों के परीक्षण हेतु अधिकारी कर्तव्यस्थ करते हुए संबंधितों को 15 जूलाई तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देषित किया गया है। विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में 20 जूलाई तक दावा–आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। दावा–आपत्ति संबंधित विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

युक्तियुक्तकरण योग्य विद्यालयों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं जनपद स्तर के कार्योलयों में चस्पा कर दी गई है।

जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के निर्देष

कलेक्टर ने युक्तियुक्तकरण से प्रभावित होने वाले विद्यालयों से संबंधित सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक को अवगत कराने के निर्देष दिये है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को युक्तियुक्तकरण से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए संविलियन अर्थात मर्ज किये जाने वाले विद्यालयों के बारे में बताने निर्देषित किया है।

304 विद्यालयों का होगा युक्तियुक्तकरण

जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा युक्तियुक्तकरण योग्य पाये गये विद्यालयों की सूची प्रस्तुत की गई है। जिले में कुल 211 प्राथमिक विद्यालय, 78 पूर्व माध्यमिक विद्यालय 10 हाई स्कूल एवं 5 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। लखनपुर विकासखण्ड में 33 प्राथमिक विद्यालय, 11 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 2 हाई स्कूल एवं 1 हायर सेकेण्डरी स्कूल का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। इसी प्रकार लुण्ड्रा विकासखण्ड में 38 प्राथमिक विद्यालय, 06 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 2 हाई स्कूल एवं 2 हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर विकासखण्ड में 35 प्राथमिक विद्यालय, 25 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अम्बिकापुर विकासखण्ड में 48 प्राथमिक विद्यालय, 11 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 4 हाई स्कूल एवं 2 हायर सेकेण्डरी स्कूल, उदयपुर विकासखण्ड में 10 प्राथमिक विद्यालय एवं 3 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मैनपाट विकासखण्ड में 22 प्राथमिक विद्यालय एवं 14 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बतौली विकासखण्ड में 25 प्राथमिक विद्यालय, 08 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 2 हाई स्कूल का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।

युक्तियुक्तकरण नियम

युक्तियुक्तकरण के तहत् शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी का निर्धारण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्राथमिक विद्यालय से दूसरे प्राथमिक विद्यालय की की

परिधि 1 किलोमीटर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की परिधि 3 किलोमीटर तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलो की परिधि 5 से 7 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की की परिधि 1/2 किलोमीटर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की परिधि 1 किलोमीटर तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलो की परिधि 2 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक विद्यालयों तथा प्राकृतिक अवरोध वाले विद्यालयों को यथावत रखने के निर्देष दिये गये है।

युक्तियुक्त भवन का उपयोग सुनिष्चित हो

कलेक्टर ने युक्तियुक्तकरण के कारण रिक्त भवन का यथोचित उपयोग सुनिष्चित करने के निर्देष दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे भवनों का उपयोग स्थानीय आवष्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इन भवनों का उपयोग उचित मूल्य दुकान, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन तथा स्व सहायता समूह के गतिविधि केन्द्र सहित निर्धारित आवष्यकताओं के लिए किया जा सकेगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.एक्का, डाइट प्राचार्य श्री ए.एल.राठिया, श्री आर.एस.सेगंर, श्री एम.के. मजुमदार सहायक संचालक आषारानी टोप्पो, आदिवासी विकास विभाग के श्री डी.पी.नागेष उपस्थित थे।

समाचार क्रमांक 727/2015 ———0———

समाचार

विभिन्न व्यवसायों में प्रषिक्षण हेतु काउन्सलिंग

पॉलीटेक्नीक कॉलेज में

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्षन केन्द्र के उप संचालक ने बताया कि विभिन्न व्यवसायों में प्रषिक्षण हेतु पांचवी, आठवीं एवं दसवीं उत्तीर्ण युवकों की काउन्सलिंग नमनाकला स्थित शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज में 11 अगस्त 2015 को पूर्वान्हः 11 बजे से की जायेगी।

इच्छुक आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची के साथ निर्धारित समय पर शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज में उपस्थित हो सकते है। काउन्सलिंग में चयनित उम्मीदवारों को ओ.पी. जिंदल कम्यूनिटी कॉलेज रायगढ़ द्वारा निःषुल्क आवास, भोजन एवं मेडिकल की सुविधा दी जायेगी। प्रषिक्षण के पष्चात् आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहयोग किया जायेगा।

रोजगार अधिकारी ने बताया है कि पांचवी उत्तीर्ण आवेदको को पेन्टर, मेसन, बार बेन्डर, प्लम्बर, फार्म वर्क कारपेन्टरी, फिटर, डोमेस्टीक हेल्पर, हॉस्पीटैलिटी, व्युटिषियन का प्रषिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जायेगा। इसी प्रकार आठवीं उत्तीर्ण आवेदको को वेल्डर, एयर कन्डीसनिंग रिपेयर एण्ड मेन्टेनेंस तथा दसवीं उत्तीर्ण आवेदकों के लिए इलेक्ट्रिकल, हैवी अर्थ मुवींग मषीन मेनटेनेंस, सीएनसी मेनटेनेंस, नर्सिंग एड तथा हल्के वाहन लायसेंस धारियों को हैवी व्हीकल ड्राईवर ट्रेनिंग दी जायेगी।

समाचार क्रमांक 728/2015 ———0———

समाचार

विषय समिति के सदस्यों हेतु आवेदन आमंत्रित

छत्तीसगढ़ माध्यमिक षिक्षा मण्डल, रायपुर के द्वारा विषय समिति के सदस्यों के नाम चयन हेतु माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय में कार्यरत षिक्षक, व्याख्यता, प्राचार्य, षिक्षाकर्मी वर्ग –01 एवं सहायक प्राध्यापको एवं प्राध्यापकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला षिक्षा अधिकारी ने बताया है कि आवेदन के इच्छुक कर्मचारी परीक्षाफल के साथ प्राचार्य अथवा विकासखण्ड षिक्षा अधिकारियों के अनुषंसा सहित 18 अगस्त तक आवेदन जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में जमा कर सकते है।

समाचार क्रमांक 729/2015 ———0———

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी अम्बिकापुर (छ.ग.)